न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 942/2024

अनवान : –

1. नेतराम पुत्र चन्दुराम जाति मेघवाल निवासी नहराना तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. चन्दुराम पुत्र किशनाराम जाति मेघवाल निवासी नहराना तहसील नोहर।
2. सीमा रानी पुत्री चन्दुराम पत्नी रामप्रताप जाति मेघवाल निवासी रधावा तहसील व जिला सिरसा।
3. ताराचन्द पुत्र चन्दुराम जाति मेघवाल निवासी नहराना तहसील नोहर।
4. सन्तोष पुत्री चन्दुराम पत्नी रणवीर जाति मेघवाल निवासी श्योदानपुराम तहसील टिब्बी।
5. दर्शना पुत्री चन्दुराम पत्नी भानीराम जाति मेघवाल निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
7. शाखा प्रबन्धक एसबीआई नोहर तहसील नोहर।
8. पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः –21/10/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा नहराना तहसील नोहर के ख0न0 78 की 6.6390 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई। वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 ने वदी की माता मु0 चन्दा से शादी के पश्चात वादी व प्रतिवादी संख्या 2 मु0 चान्दा के नत्फे से पैदा हुए तथा वादी की माता की मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या 1 ने दुसरी शादी मु0 कमला से की व उसके नत्फे से प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 पैदा हुए। वाद भूमि पैतृक होने के कारण वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का उक्त वाद भूमि में जन्म से हक हिस्सा है। वादी अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद [illegible]ा गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर [illegible] की जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा[illegible]के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.07 15:36:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 ने पारिवारिक राजीनामा इस आशय का पेश किया की प्रतिवादीगण संख्या 2, 4 व 5 ने अपना समस्त हक हिस्सा मुताबिक राजीनामा के अनुसार अपने पिता व भाईयों के पक्ष में परित्याग कर दिया है इसलिए हम प्रतिवादीगण संख्या 2, 4 व 5 हमारे पिता के नाम दर्ज भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है एवं अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 के पक्ष में परित्याग कर चुके है। बाद हक त्याग रोही मौजा नहराना तहसील नोहर के ख0न0 78 की 6.6390 हैक्ट भूमि में वादी अकेला 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1/3 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार रहेंगे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाता है तो हम पक्षकारान को कोई ऐतराज नही है। हम पूर्णतया सहमत है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में पक्षकारान का राजीनामा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण संख्या 2, 4 व 5 ने अपना समस्त हक हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 3 बहिब काबिज है। पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा नहराना तहसील नोहर के ख0न0 78 की 6.6390 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने भी उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरे [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है [illegible] 5 द्वारा राजीनामा पेश किया गया है कि मुताबिक राजीनामा [illegible] जाता है तो वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.07 15:36:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

5 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा नहराना तहसील नोहर के खाता स0 8 के ख0न0 78 की 6.6390 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में वादी, प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 3 प्रत्येक को 1/3 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21/10/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.07 15:36:56 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 942/2024

अनवान : –

1. नेतराम पुत्र चन्दुराम जाति मेघवाल निवासी नहराना तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. चन्दुराम पुत्र किशनाराम जाति मेघवाल निवासी नहराना तहसील नोहर।
2. सीमा रानी पुत्री चन्दुराम पत्नी रामप्रताप जाति मेघवाल निवासी रधावा तहसील व जिला सिरसा।
3. ताराचन्द पुत्र चन्दुराम जाति मेघवाल निवासी नहराना तहसील नोहर।
4. सन्तोष पुत्री चन्दुराम पत्नी रणवीर जाति मेघवाल निवासी श्योदानपुराम तहसील टिब्बी।
5. दर्शना पुत्री चन्दुराम पत्नी भानीराम जाति मेघवाल निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
7. शाखा प्रबन्धक एसबीआई नोहर तहसील नोहर।
8. पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 942 सन 2024 निर्णय दिनांक -21/10/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री राजपाल झोरड़ एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा नहराना तहसील नोहर के खाता स0 8 के ख0न0 78 की 6.6390 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में वादी, प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 3 प्रत्येक को 1/3 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/10/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.07 15:36:56 IST
Reason: SelfAttested